न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 10 / 2023, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. हरिसिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी मनवा का बास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. सुप्यार कंवर पुत्री भंवरराम पत्नि सावन्तसिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी गुढावडी तहसील सुजानगढ जिला चुरू।
2. मनोहर कंवर उर्फ मन्ना कंवर पुत्री भंवरराम पत्नि किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा हाल निवासी रजियासर खारा तहसील सुजानगढ जिला चुरू।
3. समन्दर कंवर पुत्री भंवरराम पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा कुमाश जागीर तहसील रामगढ जिला सीकर।
4. सुरज्ञान पुत्र भंवरराम(फौत)

4.1ओमसिंह पुत्र सुरज्ञानसिंह
4.2मूलसिंह पुत्र सुरज्ञानसिंह
4.3श्रीमती मनोहर कंवर बेवा सुरज्ञानसिंह
} समस्त जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा तहसील रामगढ पचवारा।

4.4श्रीमती नन्दू कंवर पुत्री सुरज्ञानसिंह पत्नि नगेन्द्रसिंह निवासी कुन्सीसर तहसील चुरू जिला चुरू।

5. सरदार सिंह पुत्र भंवरराम
6. लादूराम पुत्र रूगाराम(फौत)

6.1इन्द्रसिंह पुत्र लादूराम
6.2भारतसिंह पुत्र लादूराम
6.3जगदीश पुत्र लादूराम
6.4भवानी सिंह पुत्र लादूराम
6.5 मिट्ठु सिंह पुत्र लादूराम
6.6 शम्भू सिंह पुत्र लादूराम
6.7 उच्छव कंवर पत्नि लादूराम
} समस्त जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

6.8 भौरी कंवर पुत्री लादूराम पत्नि शिवसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील मेडता जिला नागौर।

6.9सुमन कंवर पुत्री लादूराम पत्नि चतरसिंह निवासी बापू गांव तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

6.10सरोज कंवर पुत्री लादूराम पत्नि बलवीर सिंह जाति राजपूत निवासी बापू गांव तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

7. लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरराम
8. सम्पतसिंह पुत्र भंवरराम
9. किशनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
10. नाथू सिंह पुत्र भंवरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी चक अभयपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11. नारायण सिंह पुत्र शुगन सिंह जाति राजूपत निवासी मनवा का बास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
12. चौथमल पुत्र जगदीश नारायण जाति मीना निवासी चक अभयुपरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
13. व्यवस्थापक सी.बी. आई. बैंक शाखा सोनड तहसील रामगढ पचवारा।
14. यूको बैंक शाखा डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा।
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
16. श्री मोहरसिंह मीना उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पत्रावली उनवानी सुप्यार कवंर बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरा वाद पत्र अधिघोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा, प्रकरण संख्या 201/2018 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, प्रकरण संख्या 162/2018 जो कि न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा में विचाराधीन है

उपस्थिति : श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री विवेक बटवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6/10 उपस्थित।

:— निर्णय :— दिनांकः—07.06.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि सुप्यार कंवर बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरा उनवानी दावा तकास्मा अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय रामगढ पचवारा में विचाराधीन उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी से सही एवं निष्पक्ष न्याय की कोई आशा नही होने के कारण उक्त विचारधीन प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6/10 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा के यहां विचाराधीन दावा तकास्मा अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज संख्या 201/2018 उनवानी सुप्यार कंवर बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 162/2018 में अप्रार्थीगण स्व. लादूराम व स्व. सुरज्ञान के वारिसान ने पीठासीन अधिकारी रामगढ पचवारा से साज व मिलीभगत कर रखी है। ये लोग येनकेन प्रकारेण प्रकरण का निस्तारण अपने पक्ष में करवाकर प्रार्थी के अधिकारो को क्षति कारित करना चाहते है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण को तारीख पेशी 8.2.2023 दी थी। परन्तु प्रतिवादीगण के पीछे से तारीख पेशी 3.2.2023 में पत्रावली लेकर सुनवाई की गई एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर दी। जब प्रतिवादीगण दिनांक 8.2.2023 को न्यायालय में गये तब उन्हे इस बारे में पता चला। इसके बाद दिनांक 13.2.2023 एवं 17.2.2023 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 13.2.2023 को प्रार्थी को सुने बिना ही अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। अप्रार्थीगण स्व. लादूराम व स्व. सुरज्ञान के वारिसान को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते—जाते देखा गया है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचारधीन प्रकरण सुप्यार कंवर बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरा प्रकरण संख्या 201/2018 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 162/2018 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6/10 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि दावा तकास्मा अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज संख्या 201/2018 उनवानी सुप्यार कंवर बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 162/2018 विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.2.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जो कि दोनो पक्षकारो को सुनकर ही जारी की गई है। अप्रार्थीगण की किसी से कोई मिलीभगत नहीं है। प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ झूंठे, निराधार एवं मनगढन्त आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण में सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुये विधि अनुसार ही कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु यदि पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरित की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय रामगढ पचवारा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में उक्त विचारधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा भी प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा में विचाराधीन दावा तकास्मा अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज संख्या 201/2018 उनवानी सुप्यार कंवर बनाम लक्ष्मण सिंह वगैरा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 162/2018 को न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में स्थानान्तरित किया जाता है। साथ ही उप जिला कलक्टर दौसा को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली अविलम्ब न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में भिजवाई जावे। उप जिला कलक्टर रामगढ पचवारा एवं उप जिला कलक्टर दौसा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 07.6.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा